न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 48/2021

उमी देवी बनाम लालसिंह व अन्य

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

समक्ष

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती पदमा देवी

उपस्थित :–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी — वादीगण अभिभाषक
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह टाक — प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 व 6 के अभिभाषक

–: निर्णय :–

दिनांक 19.11.2024

सक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 व 6 के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 17.07.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र में अंकित विवादग्रस्त आराजी वर्किंग जमाबंदी मे खातेदारी हालू पुत्र देवा के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तकरण सं0 95 दिनांक 27.5.1989 के अनुसार मृतक हालू के स्थान पर विरासत से लालसिंह व बाबूसिंह दत्तक पुत्र हालू के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसके पश्चात बाबूसिंह (वादीया का पति) ने दिनांक 22.1.2007 को वादग्रस्त आराजीयात मे अपने आधे हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी विलेख (हकत्याग विलेख) अपने सगे भाई लालसिंह के नाम कर दिया गया। जिसके कारण बाबूसिंह का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार ही नही था तथा जब तक उक्त पंजीकृत हकत्याग विलेख को सक्षम सिविल न्ययालय से निरस्त नही करवाया जाता तब तक बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह को या उसके किसी भी वारिसान को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही था परन्तु उक्त पंजीकृत हकत्याग विलेख के तथ्यो को छिपाते हुए जो वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है वह बार्ड बाई लॉ होने से पोषणीय नहीं होकर उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसी स्तर पर काबिल निरस्तनीय है।उक्त वाद पत्र के पूर्व बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह द्वारा उपरोक्त संपूर्ण आराजीयात बाबत प्रथम वादपत्र संख्या 33/2007 बउनवानी बाबूलाल बनाम लालसिंह दिनाक 22.02.2007 को प्रस्तुत किया तत्पश्चात दिनांक 20.06.2019 को उक्त वाद में कुछ कानूनी त्रुटि बताते हुए नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ विड्रो कर लिया जिसके लगभग 12 वर्ष पश्चात बाबूसिंह द्वारा द्वितीय वादपत्र संख्या 73/2019 बउनवानी बाबूलाल बनाम लालसिंह के वारिसान प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान प्रतिवादी सं० 2 व 3 भी प्रतिवादी के तौर पर अंकित थे जिसे भी उसकी मृत्यु के पश्चात दिनांक 08.06.2020 को उसके वारिसान (जिनमे वर्तमान वादीया भी थी) द्वारा पुनः बिना शर्त विड्रो कर लिया गया जिसमे बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह के वारिसान द्वारा स्वंय दिनांक 8.6.2020 को विड्रो प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किये कि उन्हे उक्त आराजीयात मे कोई विवाद/वाद कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व नहीं है परन्तु तत्पश्चात दिनांक 12.08.2021 को पुनः बाबूसिंह के वारिस उसकी पत्नि उमीदेवी उक्त नवीन वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो कि जाब्ता दीवानी की धारा 11 रेसज्युडिकेटा में अंकित प्रावधानो के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर काबिल निरस्तनीय है। वर्तमान वादपत्र मे बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह दत्तक पुत्र हालू की पत्नि उमीदेवी द्वारा अपने संपूर्ण वादपत्र में कही भी वाद कारण का उल्लेख व वाद कारण किस दिनांक को उत्पन्न हुआ का उल्लेख नही किया गया है जिस कारण वाद कारण के अभाव में भी उक्त वाद किसी भी रूप में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1752, 1753, 1757, के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 लगायत 2073 मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ जमनी देवी पत्नि पांचूसिंह जाति रावत, शफीक पुत्र अयूब खां जाति मुसलमान एंव सुमनदेवी पत्नि रामदेवाराम जाति जाट भी सहखातेदार अंकित होकर वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार है परन्तु उन्हे वादीया द्वारा उक्त वाद पत्र मे पक्षकार ही संयोजित नही किया गया है जिस कारण नॉन जोइण्डर ऑफ नैर्ससरी पार्टीज के अभाव में ही उक्त वाद पत्र पोषणीय नही होकर इसी स्तर पर काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद उपरोक्त संपूर्ण आधारों पर प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही होने के कारण इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादीगण अभिभाषक को दी गई। जिस पर वादीगण अभिभाषक द्वारा दिनांक 12.02.2024 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 व 6 के अभिभाषक को दी गई। वादीगण अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तथाकथित हक त्याग विलेख दिनांक

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

2.1.2007 की जानकारी जवाबकर्ता को पूर्व में नहीं थी। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त हक त्याग विलेख के वर्णन से जवाबकर्ता को जानकारी हुई है। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित एवं पर्याप्त होगा कि उक्त हक त्याग विलेख जो प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है में जवाबकर्तागण के पिता द्वारा मात्र साबिक खसरा नम्बर 489 रकबा 2–11–0 बीघा में निहित 1/2 हिस्से का हक त्याग किया गया है ना कि वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् किया गया है। इस प्रकार केवल मात्र एक खसरा नम्बर की भूमि के हक त्याग के आधार पर सम्पूर्ण वाद बार्ड बाई लॉ नहीं हो सकता। यहां यह भी अंकित किया जाना उचित एवं पर्याप्त होगा कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व 6 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के पश्चातवर्ती क्रेतागण हैं जबकि वाद में वर्णित आराजीयात बाबत् उक्त वाद मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह पुत्र काना जिसका कि वर्तमान में स्वर्गवास हो चुका है एवं उसके विधिक वारिसान जो वर्तमान वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 हैं के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है लेकिन भविष्य में उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 सिद्ध होता है तो उनके द्वारा किये गए बेचान स्वतः ही निरस्त एवं शुन्यप्रभावी हो जायेंगे तथा उक्त विक्रय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नामांतरकरण भी शुन्य एवं निष्प्रभावी हो जायेंगे। इस प्रकार मूल रूप से वाद में वर्णित तथ्यों की पूर्ण जांच कर तनकीयात निर्मित कर साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात ही प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात में अधिकार प्राप्त होंगे। मूल रूप से वाद पूर्व में वादीगण के पिता बाबूलाल दत्तक पुत्र हालू द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह पुत्र काना के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें आज दिनांक तक गुणावगुण पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया तथा वाद पत्र की सम्पूर्ण जानकारी वादीगण के पिता को थी जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार वादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित एवं विधिक है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करें। यहां यह वर्णित करना उचित एवं न्यायिक होगा कि वाद पत्र संख्या 33/2007 बउनवानी बाबूलाल बनाम् लालसिंह एवं वाद पत्र संख्या 73/2019 बउनवानी बाबूलाल बनाम् लालसिंह उक्त दोनों ही वाद वादीगण के पिता द्वारा ही प्रस्तुत किये गए थे जिनमें वादीगण पक्षकार नहीं थे तथा वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 15.2.2020 को होने के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 द्वारा वादीगण एवं उनकी माता उमीदेवी पत्नी बाबूलाल जिनका भी वर्तमान में स्वर्गवास हो चुका पर सामाजिक दबाव बनाकर एवं वादग्रस्त आराजीयात में उनके हक अधिकार पुनः उनके नाम कर देने का झूठा एवं षडयंत्र पूर्वक आश्वासन दिया जाकर वाद संख्या 73/2019 विड्रो करवा लिया गया तथा चूंकि वाद विड्रो की दिनांक 8.6.2020 से पूर्व दिनांक 15.2.2020 को वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका था जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 द्वारा बनाये गए दबाव के कारण वादीगण को बहैसियत वादी वारिसान के आधार पर वाद को विड्रो किया गया परन्तु वाद विड्रो के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 द्वारा अपने आश्वासन से विमुख हो गये एवं वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ आराजी को प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को बेचान कर दिया गया जिससे व्यथित होकर वादीगण की माता ने पुनः नवीन वाद कारण, तथ्य एवं पक्षकारों को मुर्तिब करते हुए उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिस पर प्रिंसिपल ऑफ रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होता है।

जैसा कि निम्न विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया है:–

1. 2011 आर.बी.जे. पेज 742 "Principal of Resjudicata is mixed question of law & facts. This can be decided after recording the evidences.

2. Order 7 Rule 11, Sec. 11 CPC "It does not attaract the provisions of Sec. 11 CPC - Order passed in respect of Sec. 11 without taking written statement and without framing issue in respect of resjudicata is errorneous and illegal as this point may be factual and legal both. (2009 RRD Page 808, Page 2009 RBJ Page 818)

3. 1992 RRD Page 212 A judgment which is not on merits does not operate as resjudicata

4. 1996 RRD Page 107 Objection of resjudicata can not be raised through an application without filling written statement.

5. 1990 RRD Page 61 While deciding application Order 7 Rule 11 Sec. 11 CPC. It make more essential for trial court to proceed with the main suit for making and important issue regarding its maintability and pass order after running full course.

यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित कथन असत्य एवं झूठे होने से अस्वीकार हैं, क्योंकि वादीगण की माता द्वारा प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या 7 में स्पष्ट रूप से वाद कारण वर्णित किया गया है। वादीगण की माता द्वारा किसी भी प्रकार से पूर्व में वाद के विड्रो किए जाने के तथ्य को छुपाया नहीं है बल्कि अपने वाद कारण में पूर्व में उत्पन्न वाद कारणों का वर्णन करते हुए नवीन वाद प्रस्तुत किए जाने से सम्बंधित उत्पन्न

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

वीन वाद कारण का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व 6 द्वारा वाद कारण से सम्बंधित उठाया गया उज्ज पूर्णतया ही गलत एवं असत्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित बाबत निवेदन है कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत संधारणीय नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। उक्त बिन्दु के आधार पर किसी भी वाद को प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त किया जाना विधिक नहीं है बल्कि उक्त बिन्दु पर पृथक से तनकी कायम की जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्च के निरस्त फरमाया जावे एवं वादीगण को वाद सिद्धी हेतु साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को बाद तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को खारिज करने का निवेदन किया।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 का उद्धरण किया जाना समीचीत प्रतीत होता है जो यह है कि :–

आदेश 7 नियम 11 :–

(क) जहॉ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम लिया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है,

(घ) जहॉ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहॉ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

(च) जहॉ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर निर्णय करने से पूर्व हमने विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बहुराम बनाम जनक सिंह (AIR 2012 SC 3023)
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Church of Christ charitable Trust (2012) 8 SCC 706
- माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय Kewal ram/Jag Ram [RBJ (22) 2015]

हमने पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। वाद में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादीया के ससुर श्री हालू पुत्र देवा की तन्हा खातेदारी आराजीयात थी, वादीया का पति बाबुलाल उर्फ बाबुलाल पुत्र श्री काना , हालू पुत्र देवा के गोद जाने से हालू पुत्र देवा का दत्तक पुत्र हुआ। नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 27.05.89 में "लालसिंह बाबूसिंह दत्तक पुत्र हालू कौम रावत" साकिन देह खातेदार दर्ज हुए। वादीया ने वादपत्र के पैरा 6 में अंकित किया है कि वादीया के पति ने दिनांक 14.02.2007 को प्रतिवादी को दुरूस्ती हेतु कहा, इनकार करने पर वादीया के पति द्वारा एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो दिनांक 20.06.2019 को वाद संस्थित करने के हक सुरक्षित रखते हुए विड्रो कर लिया गया था। वादीया ने पैरा संख्या 7 में अंकित किया कि सर्वप्रथम वाद कारण दिनांक 27.05.1989 नामान्तरकरण संया 95 गलत रूप से वादीया के पति बाबुलाल के साथ प्रतिवादी लालसिंह का नाम अंकित होने से उत्पन्न हुआ। वादीया के पति द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लालसिंह को दुरूस्ती कराने का कहने से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के पैरा 4 में अंकित किया है कि वादपत्र में वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में वाद कारण का उल्लेख तथा वाद कारण कब उत्पन्न हुआ का उल्लेख नही किया है, जिसके अभाव में वाद पोषणीय नही है। वादीया ने वादकरण 27.05.1989 तथा 14.02.2007 को होना अंकित किया है तथा वादीया के पति द्वारा दिनांक 14.02.2007 के वादकरण के आधार पर वाद दायर किया गया था और पुनः वाद विड्रो कर लिया गया था। तत्पश्चात वादीया के पति द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2019 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसे वादीया व वादीया के वारिसान को वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद/विवाद नहीं है, प्रार्थीगण इस वाद को आगे नही चलाना चाहते है, वादपत्र को विड्रो कर लिया गया। तत्पश्चात वादीया द्वारा 12.08.2021 को पुनः वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादकारण दिनांक 27.05.1989

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

।। दिनांक 14.02.2007 को होना अंकित किया है। जिसके आधार पर वादीया के पति द्वारा प्रथम वादपत्र ख्या 33/2007 तथा द्वितीय वादपत्र संख्या 73/2019 पूर्व में ही प्रस्तुत किये गये थे, जो पुनः विड्रो कर लिये गये। अतः वादीया द्वारा पुनः 12.08.2021 को वादपत्र प्रस्तुत किया, उसमें वादकारण तथा दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि वादीया के वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के पैरा संख्या 2 में अंकित किया कि बाबुसिंह वादीया के पति ने दिनांक 22.01.2007 को वादग्रस्त आराजीयात में अपने आधे हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत दस्तबदारी विलेख से अपने भाई लालसिंह के नाम कर दी थी, जो कि संलग्न दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित किया है कि प्रश्नगत हकत्याग विलेख हकत्याग विलेख की जानकारी उतरदाता को इससे पूर्व में नही रही है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण को अपने वाद से संबंधित संपूर्ण तथ्यों की जानकारी नही है। वादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में कार्यवाही को निरस्त करवाये बगैर खातेदारी उद्घोषणा का वाद लाया जाना विधिसम्मत नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्व वादीगण के पिता द्वारा प्रथम वाद पत्र 33/2002 तथा द्वितीय वाद पत्र 73/2019 में प्रस्तुत किया गया था। वादीगण द्वारा द्वितीय वाद बिना किसी शर्त व वादकरण नहीं होने के आशय के साथ पुनः ले लिया गया था। वादीगण को वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपने पिता द्वारा की गयी कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए पुनः नया वाद प्रस्तुत किया है जो विधिसम्मत व उचित प्रतीत नही होता है। वादीगण के वादपत्र में वादकारण प्रकट नहीं होने तथा वाद विधिसम्मत नही होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाना विधिसम्मत और उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वादपत्र वाद हेतुक के अभाव में अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल—ए—दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
अजमेर